

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-242/2022/75 एल.आर.एक्ट (2022/242)



हैदरबेग पुत्र अहमद बेग आयु 55 वर्ष जाति मुगल मुसलमान निवासी ग्राम
जिलावडा तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रहमत बेग पुत्र बाबू बेग जाति मुसलमान
2. मुराद बेग पुत्र बाबू बेग जाति मुसलमान
3. सलीम बेग पुत्र बाबू बेग जाति मुसलमान
4. मुमताज बेगम पुत्री बाबू बेग जाति मुसलमान
5. समीना बेगम पुत्री बाबू बेग जाति मुसलमान
6. मैमूना बेगम पुत्री बाबू बेग जाति मुसलमान समस्त जातिगण मुसलमान
निवासी ग्राम जिलावडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।
8. केम्प प्रभारी उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद विरुद्ध निर्णय दिनांक 25.06.2002

उपस्थित:-

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8

निर्णय

दिनांक:-25.02.2025

1. यह अपील अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2002 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर की भूमि पुराने चौसाला खसरा नम्बर 365 रकबा 56-11-10 स्थित थी जिसमें से अपीलांट के पिता अहमद बेग पुत्र कम्मा बेग के द्वारा दिनांक 24.3.1955 को रूपए 3,000/- में उक्त खसरा नम्बर 365 में रकबा 9-2-10 भूमि का जरिए रजिस्ट्री से क्रय किया गया तथा उपरोक्त खसरा नम्बर 365 में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के पूर्वज पीर बेग द्वारा रकबा 9-2-10 दिनांक 24.01.1955 को क्रय किया गया तथा उक्त खसरा नम्बर 365 की शेष भूमि कुल रकबा

राजस्थान अजमेर प्राधिकारी
अजमेर



36-7-10 व 1-10-0 व 0-9-0 भूमि सिवायचक के रूप में दर्ज थी तथा चौसाला जमाबंदी में उपरोक्त भूमि उपरोक्तानुसार पुराने खसरा नम्बर 365 का रकबा 9-2-10 व 9-2-10 रजिस्ट्री अनुसार दर्ज की गयी किन्तु शेष भूमि पुराने खसरा नम्बर 365/1 रकबा 36-3-10 व 365/2 रकबा 1-10-0 व 365/3 रकबा 0-9-0 के रूप में सिवायचक दर्ज थी किन्तु वर्किंग खसरा नम्बर 240 रकबा 25-0-0 बनाते समय अपीलार्थी के कब्जाशुदा सरकारी भूमि चौसाला पुराने खसरा नम्बर 365/1 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 240 का रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 6 के पूर्वज हासम व कासम पुत्रगण पीरू जाति मुसलमान निवासी ग्राम जिलावडा के नाम संपूर्ण रकबा 25 बीघा वर्किंग जमाबंदी में गलत अंकन कर दी को पुनः खसरा नम्बर 240 रकबा 14-10-0 को बदर सूची को सिवायचक के रूप में वर्किंग जमाबंदी में पुनः सही अंकन किया गया किन्तु हासम व कासम बेग पुत्रगण पीरूबेग द्वारा वर्किंग जमाबंदी के नवीन खसरा नम्बर 240 रकबा 25 बीघा भूमि में केवल 9-2-10 रकबा क्रयशुदा था तथा शेष रकबा 14-10-0 सिवायचक था को दिनांक 25.06.2002 को वर्किंग खसरा नम्बर 240 मिन रकबा 4-10-0 एवं दिनांक 07.03.2003 को वर्किंग खसरा नम्बर 240 रकबा 10-0-0 भूमि को बदर सूची में सिवायचक थी का आवंटन/नियमन उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद/केम्प प्रभारी के द्वारा बिना मौके की जाँच किये एवं बिना कब्जे का जाँच किये की अपीलार्थी का कब्जा व आधिपत्य मौके पर वर्षों से चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलान्त व उसके परिवार के बाडे व मकान बने हुऐ है के बावजूद आधार जमाबंदी संवत 2059 में आवंटन/नियमन आदेशों से हाल खसरा नम्बर 188/5324 रकबा 2.12 हैक्टयर भूमि का नामान्तरण किया गया तत्पश्चात हासम बेग कासम बेग की मृत्यु होने से उसके वारिसान रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा भूमि का बिना विरासत खुलाये दिनांक 13.08.2021 से पावर आफ अर्टोनी से विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 30.01.2022 को रेस्पोजेन्ट द्वारा भूमि का बेचान करने की बात कहते हुऐ बताई गयी जिस पर दिनांक 03.02.2022 एवं दिनांक 12.02.2022 को नियमन/आवंटन की नकल प्राप्त की जो आवंटन/नियमन अपीलान्त की अपने पिता अहमद बेग की खरीदशुदा भूमि के समय से काबिज मालिक स्वामी की भूमि होने से अपीलार्थीन आदेश/नियमन/आवंटन दिनांक 25.06.2002 एवं 07.03.2003 अलग अलग रूप से हासम व कासम बेग जो रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 6 के पूर्वज है के नाम उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित किए गए आवंटन आदेशों को निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2002 से असंतुष्ट होकर अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया व निम्न दस्तावेजों को हाजा

राजस्थान सरकार
अजमेर



न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद की निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2024, वर्तमान नक्शा ट्रेस की 1 प्रति, वर्तमान जमाबंदी की 1 प्रति, मिलान क्षेत्रफल नया 1 प्रति, वर्किंग जमाबंदी 1 प्रति मिलान, वर्किंग जमाबंदी पुराना 2 प्रति, चौसाला जमाबंदी 3 प्रति प्रस्तुत की जा रही है। दावाकृत भूमि के संदर्भ में राजस्व न्यायालय नसीराबाद द्वारा दिनांक 19.6.2024 को निर्णय व डिक्री पारित करने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दावाकृत भूमि हाल खसरा नम्बर 6610/188 एवं 6609/188 तरमीम खसरा नम्बर पूर्व हाल खसरा नम्बर 188/5324 रकबा 2.12 के निर्णय डिक्री की पालना में किए गए हैं जिसे रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।
6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।
7. अभिभाषक अपीलांत ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा मौके पर अपीलार्थी एवं उसके परिवार की बाड़े व मकान बने हुए हैं की भूमि खरीदशुदा आधी आधी अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंट की होने के बावजूद विधि विरुद्ध तरीके से ग्राम कानपुरा की भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 240 रकबा 25-0-0 के हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70 एवं 188/5324 रकबा 2.12 संपूर्ण भूमि का अलग अलग रूप से दिनांक 25.06.2002 को रकबा 04--10-0 एवं दिनांक 07.03.2003 को रकबा 10-0-0 भूमि का नियमन आदेश बिना किसी हक व अधिकार के पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 30.01.2022

राजस्व अर्पण प्रधिकार
अजमेर



को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा पावर आफ अर्टोनी से बेचान करने की बात कहते हुए दी गयी के पश्चात दोनों नियमन/आवंटन आदेश की नकल दिनांक 03.02.2022 एवं 12.02.2022 को प्राप्त की तथा जमाबंदी की प्रमाणित नकले प्राप्त की गयी के पश्चात अविलम्ब कानूनी सलाह प्राप्त कर प्रकरण में मान्य न्यायलय में अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है तथा उक्त नियमन आदेश की आड में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा उक्त भूमि का रहन, बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा अग्रसर है तथा मौके पर अपीलान्ट के कब्जे व आधिपत्य में दखल बाधा कारित कर रहे हैं जिससे अपीलान्ट/प्रार्थी का हित प्रभावित हो रहा है जिससे अपीलान्ट/प्रार्थी को आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 25.06.2022 के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित में आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौरान जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एवं प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थीया व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं। अतः अपीलान्ट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलान्ट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-"CIVIL PROCEDURE CODE, 1908-SECTION 96- when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10. अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा रेस्पोंडेन्ट

राजस्थान हाइकोर्ट
अजमेर



संख्या 1 से 6 के पूर्वजो का कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा मौके पर अपीलार्थी एवं उसके परिवार की बाड़े व मकान बने हुए हैं की भूमि खरीदशुदा आधी आधी अपीलार्थी एवं रेस्पोजेन्ट की होने के बावजूद गैर कानूनी विधि विरुद्ध तरीके से ग्राम कानपुरा की भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 240 रकबा 25-0-0 के हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70 एवं 188/5324 रकबा 2.12 संपूर्ण भूमि का अलग अलग रूप से दिनांक 25.06.2002 को रकबा 04-10-0 एवं दिनांक 07.03.2003 को रकबा 10-0-0 भूमि का नियमन आदेश बिना किसी हक व अधिकार के पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 30.01.2022 को रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा पावर आफ अर्टोनी से बेचान करने की बात कहते हुए दी गयी के पश्चात दोनों नियमन/आवंटन आदेश की नकल दिनांक 03.02.2022 एवं 12.02.2022 को प्राप्त की तथा जमाबंदी की प्रमाणित नकले प्राप्त की गयी के पश्चात अविलम्ब कानूनी सलाह प्राप्त कर प्रकरण में अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

12. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- LIMITATION ACT, 1963- SECTION 5- When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते हैं। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद

गजसब अपील प्राधिकार
अज्ञप्त

अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

13. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि लिखित बहस की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन कि नियमनर विधिवत किया गया तथा 21 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी जो इस-कदर गलत है क्यों कि रेस्पोजेन्टस को नियमन आदेश विना प्रकाशन, विना उदघोषणा जारी किये सहखातेदार अपील को सूचना दिया विधि विरुद्ध किया गया को रेस्पोजेन्टस द्वारा व्यवसाय के रूप में पावर आर्टोनी दिनांक 13.08.2021 को बेचान किया गया कि जानकारी होते ही अविलम्ब अपील पेश की गयी। अपीलान्ट के पिता अहमद बेग के द्वारा दिनांक 24.03.1955 को रकवा 9-02-10 बीघा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया स्वीकार है किन्तु उक्त भूमि में अपीलान्ट के पिता अहमद बेग एवं रेस्पोजेन्ट के पूर्वज कासम बेग के पूर्वज पीर बेग आधा आधा हिस्सा क्रय किया गया का विना बंटवारा भूमि हाल खसरा नम्बर 188/5833 व 189 अपीलान्ट के नाम गलत दर्ज की गयी तथा अपीलान्ट की भूमि दावाकृत हाल खसरा नम्बर 188/5324 रकवा 2. 12 रेस्पोजेन्ट के नाम गलत दर्ज की गयी का नक्शा दूरुस्ती व बंटवारा व खातेदारी का वाद हैदर बेग ने प्रस्तुत किया किन्तु जो वाद राजस्व न्यायालय में हैदर बेग ने प्रस्तुत किया उसमें रेस्पोजेन्ट को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा नियमन बाबत कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी बल्कि पावर आफ अर्टोनी से दिनांक 13.08.2021 को दावाकृत भूमि का बेचान किया गया जिसमें अपील धारा 75 एलआर एक्ट के तहत विधि सम्मत है जिसका अपीलान्ट को अधिकार है। क्यों कि दावाकृत भूमि पुराने खसरा नम्बर 240 रकवा 25 बीघा में से 14-10-0 बदर सूची से वर्किंग जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 84 से सिवायचक अंकन की गयी सरकारी भूमि पर कब्जा होने से भंवर बेग वगैरह ने राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया के वाद से उक्त अपील से कोई लेना देना नहीं है। अपीलान्ट को अपील व वाद अलग अलग प्रस्तुत करने का पूर्ण कानून अधिकार है तथा हैदर बेग अपीलान्ट का आज दिवस तक कोई दावाकृत भूमि बाबत वाद खारिज नहीं हुआ है तथा अपीलान्ट को विना सूचना दिया अपीलान्ट के पूर्वजों की क्रयशुदा भूमि को त्रुटिपूर्ण तरीके से विधि विरुद्ध नियमन किया गया जो निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2002 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं— आर0आर0डी 2000 पेज 384, आर0बी0जे0 1998 पेज 514, आर0बी0जे 2001 पेज 313, आर0बी0जे 1998 पेज 257, आर0आर0डी0 2002 पेज 37.



राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



14. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 153/2018 बउनवानी हैदर बेग बनाम बाबू बेग के नाम से प्रस्तुत किया जिसमें सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पोंडेंट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को दिनांक 19.6.2024 को स्वीकार कर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 188 में से 1.08 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 188/5324 रकबा 2.12 हैक्टर में से 1.49 हैक्टर की आराजीयात को सरकारी सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जा चुके हैं। इस प्रकार से विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.6.2024 को स्वीकार कर विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट को पूर्व में ही रैमेडी प्रदान की जा चुकी है जिसे अपीलांट द्वारा न्यायालय से छिपाया जा रहा है, इस प्रकार से उक्त अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में सम्बंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा पालना कर विवादित आराजीयात को सरकारी सिवायचक दर्ज किया जा चुका है तथा विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में सरकारी सिवायचक दर्ज है। इस प्रकार से अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत रैमेडी प्राप्त हो चुकी है तथा उक्त अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

15. हमारे द्वारा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के चौसाला खसरा नम्बर 365 के वर्किंग खसरा नंबर 240 रकबा 25 बीघा में से 14 बीघा वर्तमान खसरा नंबर 188/5324 रकबा 2.12 आराजीयात बाबत उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा दिनांक 25.06.2002 को आवंटन/नियमन के विरुद्ध उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जिसमें अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात बाबत हाजा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि आवंटन समिति द्वारा उक्त आवंटन की उदघोषणा नियमानुसार जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आवंटन किए जाते समय कोरम पूरा था और ना ही विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट के पूर्वज हासम व कासम का किसी प्रकार का कब्जा इत्यादि नहीं था और ना ही आवंटन समिति द्वारा रेस्पोंडेंट के पूर्वजों को हासम व कासम के नाम पूर्व से कितनी आराजीयात थी इसका भी विवरण नहीं किया जाकर रेस्पोंडेंट के पूर्वजों को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.06.2002 को रेस्पोंडेंट के पूर्वज हासम व कासम को किया गया आवंटन विधि विरुद्ध है। हमारे द्वारा पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आते हैं कि अपीलांट हैदर बेग एवं अन्य द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपटित धारा 131 भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ

गणराज्य राजस्थान अर्थात् अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष पेश किया गया था जिसमें विवादित आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70, 188/5324 रकबा 2.12 व 692 रकबा 0.23 की आराजी पर वादीगण/अपीलांट का वाद खारिज किया गया तथा खसरा नम्बर 188 में से 1.08 व 188/5324 रकबा 2.12 में से 1.49 की आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं वर्तमान अपील भी विवादित खसरान बाबत पेश कि गई है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2024 के द्वारा सिवायचक दर्ज किए जाने के आदेश दिए जा चुके है। अपीलांट द्वारा उक्त खसरा नम्बर बाबत नियमन आदेश दिनांक 25.6.2002 को निरस्त करने बाबत यह अपील पेश की गई है, तथा जो अनुतोष अपीलांट द्वारा उक्त अपील मे चाहा जा रहा है वह अनुतोष अप्रत्यक्ष रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.6.2024 द्वारा दिया जा चुका है ऐसी स्थिति में उक्त विवादित खसरान नम्बरान बाबत अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली फैंसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।



(रामचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर